शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार मीमांसा
मध्यप्रदेश

आज से सरकार का वर्क फ्रॉम होम खत्म

मंत्रालय सहित प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में होगी 100 फीसदी उपस्थिति

मास्क से मुंह-नाक ढंकना होगा, लंच साथ करेंगे, हाथ भी नहीं मिला सकेंगे

पॉलिटिकल रिपोर्टर | भोपाल

मंत्रालय सहित सभी ऑफिसों में वर्क फ्राम होम पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब कार्यालयों में सभी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश सरकार ने इसके आदेश किए हैं। इसके साथ ही इसकी गाइडलाइन भी जारी की है। मंत्रालय व राज्य स्तरीय कार्यालयों में अब तक 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में काम चल रहा था। कलेक्टोरेट सहित स्थानीय कार्यालयों में पहले ही 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य की जा चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को इसके आदेश भेज दिए हैं। इसमें कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों-कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने व अन्य सावधानियों का पालन अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा गया है। वे साथ बैठकर लंच या नाश्ता भी नहीं कर सकेंगे।

ये होगी गाइडलाइन

- कर्मचारी को स्वयं व दूसरों की सुरक्षा के लिए मास्क पहनना होगा। कार्यालयीन अवधि में मुंह व नाक को ढंककर रखेगा।
- बात करते समय कोई कर्मचारी मास्क को नीचे नहीं कर सकेगा।
- सोशल डिस्टेंसिंग के लिए परस्पर पर्याप्त दूरी रखी जाएगी।
- संपर्क में आने वाली सतह, दरवाजों के हैंडल, हैंडरेल, शौचालय इत्यादि को नियमित रूप से सेनेटाइज किया जाएगा।
- कर्मचारी आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे। एक साथ बैठकर चाय व भोजन भी नहीं कर सकेंगे।
- नियमित रूप से साबुन-पानी और एल्कोहल युक्त हैंड सेनेटाइजर का उपयोग करेंगे।
- कोरोना संबंधी कोई भी लक्षण होगा तो तत्काल फीवर क्लीनिक में परीक्षण कराएंगे और संबंधित कार्यालय प्रमुख को सूचित करें।

अब तक 50% उपस्थिति से चल रहा था काम

कोरोना संक्रमण के कारण राज्य सरकार ने 19 मार्च को सभी कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति में काम करने के आदेश दिए थे। इसके बाद पहले लॉकडाउन के समय 22 मार्च को जरूरी ऑफिसों को छोड़कर अन्य कार्यालयों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह अवधि बढ़ाई गई। इसके बाद 29 अप्रैल को 30 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ आफिस में काम शुरू करने के आदेश हुए। जिसे बाद में बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।

संचालक टीपी सिंह को सूचना आयुक्त ने फिर लगाया 25 हजार का जुर्माना

आरटीआई के तहत जानकारी न देने पर फंसे, 21 अक्टूबर को सुनवाई में दलील नहीं आई काम

जागरण, रीवा। वर्तमान में सहायक संचालक जेडी कार्यालय और सतना डीईओ रहे टीपी सिंह फिर राज्य सूचना आयोग की कार्रवाई में फंस गए। आयुक्त ने आरटीआई के तहत जानकारी न देने का दोषी मानते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया है। पहले इन्हें नोटिस जारी कर 21 अक्टूबर को पक्ष रखने का मौका दिया गया था, लेकिन उनकी कोई दलील काम नहीं आई।

ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले ही एक मामले में तत्कालीन सतना डीईओ व वर्तमान सहायक संचालक जेडी कार्यालय टीपी सिंह पर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया था। वह एक और मामले में फर फंस गए। रमाकांत त्रिपाठी ने आरटीआई लगाकर तत्कालीन सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी सतना टीपी सिंह से जानकारी मांगी थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का टीपी सिंह ने उल्लंघन करते हुए जानबूझकर असद्भावनापूर्वक अपीलकर्ता को जानकारी से वंचित रखा गया। सूचना आयुक्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत राशि 25 हजार रुपए के जुर्माने के लिए कारण बताओ नोटिस टीपी सिंह को जारी किया था। नोटिस में कहा गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध जुर्माने की कार्यवाही आयोग द्वारा की जाए। कारण बताओ नोटिस पर उत्तरवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आयोग ने 21 अक्टूबर को आनलाइन मौका दिया था। 21 अक्टूबर को आनलाइन सुनवाई में टीपी सिंह ने पक्ष तो रखा लेकिन आयुक्त को रास नहीं आया। सहायक संचालक और तत्कालीन डीईओ पर फिर से 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

ऑफलाइन अतिथि शिक्षकों को प्राचार्य खुद दें वेतन

संवाददाता, जबलपुर| जिले में अतिथि शिक्षकों की ऑफलाइन हुई नियुक्तियों के मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए संचालक लोक शिक्षण ने उनका वेतन प्राचार्यों को अपने पास से देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोरोना काल में जिन डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की गलत नियुक्तियाँ हुई हैं, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। बैठक में शामिल हुए अधिकारियों के अनुसार संचालक केके द्विवेदी और अपर संचालक कामना शर्मा ने उन छात्रों के बैंक खाता नंबरों को अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जेडी अनघा दवे, एडीपीसी अजय दुबे, डीईओ सुनील कुमार नेमा के अलावा सातों ब्लॉकों के बीईओ भी शामिल रहे।

आज से होगी शत-प्रतिशत उपस्थिति| जबलपुर के शिक्षा विभाग के सभी दफ्तरों में शुक्रवार से फिर से चहल-पहल होगी। प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार जेडी, डीईओ व बीईओ ऑफिसों में अधिकारियों व कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति रहेगी।

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन| कोरोना काल में आ रहीं कठिनाइयों को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने गुरुवार को सिविक सेन्टर में प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। पी-4

घर बैठे ओलिंपियाड की परीक्षा देंगे छात्र

जबलपुर। स्कूली छात्रों के लिए ओलंपियाड परीक्षाओं के सबसे बड़े आयोजक साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन (एसओएफ) ने घोषणा की है कि ओलंपियाड परीक्षाएं वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चिंता को सर्वोपरि मानते हुए, सभी छात्र अपने घरों से एसओएफ ओलंपियाड परीक्षा में उपस्थित हो सकेंगे। हर साल भारत और अन्य देशो के लाखों छात्र एसओएफ ओलंपियाड परीक्षाओं में शामिल होते है। पिछले साल, भोपाल से लगभग 37000 छात्रों ने कक्षा एक से बारह तक ओलंपियाड परीक्षा दी थी। एसओएफ इस साल चार ओलंपियाड परीक्षा आयोजित करेगा, जिसमें एसओएफ इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड, एसओएफ इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, एसओएफ नेशनल साइंस ओलंपियाड और एसओएफ इंटरनेशनल गणित ओलंपियाड शामिल हैं।

एमपी बोर्ड: पूरक परीक्षा परिणाम घोषित

10वीं में 59.36% और 12वीं में 66.29% विद्यार्थी हुए पास

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश (एमपी बोर्ड) भोपाल ने गुरुवार को हाईस्कूल/हायर सेकंडरी (10वीं और 12वीं कक्षा) की व्यावसायिक पूरक परीक्षा 2020 का रिजल्ट घोषित कर दिया। हाई स्कूल (10वीं) में 59.36% और हाई सेकंडरी (12वीं) में 66.29% बच्चे पास हुए। दोनों परीक्षाओं में करीब डेढ़ लाख छात्र शामिल हुए थे। हाईस्कूल (10वीं) पूरक परीक्षा में कुल 1 लाख 37 हजार 790 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। इनमें से प्रथम श्रेणी में 6515 परीक्षार्थी पास हुए।

हायर सेकंडरी तृतीय श्रेणी में एक छात्र पास हुआ

इसमें कुल 2 हजार 719 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। इनमें से प्रथम श्रेणी में 762 परीक्षार्थी, द्वितीय श्रेणी में 543 परीक्षार्थी एवं तृतीय श्रेणी 1 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुआ। कुल 1 हजार 970 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी।

80 प्रतिशत अंक लाने वाले 11 हजार विद्यार्थियों को अब तक नहीं मिली लैपटाप की राशि

भोपाल निप्र

माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत अंक लाने वाले कई जिले के विद्यार्थियों को अब तक लैपटाप की 25-25 हजार रुपये की राशि नहीं मिली है। पहले तो शासन ने इस सत्र में 12वीं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि देना तय किया। इसमें 16 हजार विद्यार्थी पात्र थे। जिनके लिए मंडल की ओर से 40 करोड़ रुपये की राशि विद्यार्थियों को भेज दी गई।

इसके बाद लैपटॉप वितरण समारोह के एक दिन पहले शासन ने 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि देने की घोषणा कर दी। इससे 40,436 हजार पात्र विद्यार्थियों की संख्या हो गई, लेकिन अब तक 11 हजार विद्यार्थियों के खाते में राशि नहीं पहुंची है। इस बार स्कूल शिक्षा विभाग को लैपटॉप के लिए 101 करोड़ रुपये की राशि खर्च करनी पड़ेगी। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पहले 85 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची तैयार की गई थी। अब शासन के आदेश के बाद 80 प्रतिशत से अधिक अंक वाले विद्यार्थियों की सूची तैयार की जा रही है। पात्र विद्यार्थियों का अकाउंट नंबर ट्रेस नहीं हो पाया है। ऐसे में विद्यार्थियों से संपर्क कर उनका अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है।

11 साल पहले शुरू हुई योजना

शासन ने 2009-10 में प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। इसके तहत 2017 तक 12वीं में सामान्य एवं ओबीसी विद्यार्थियों को 85 प्रतिशत अंक लाने पर एवं अजा, जजा एवं विमुक्त, घुमक्कड़ समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों को 75 प्रतिशत अंक लाने पर लैपटाप की राशि दी जाती थी।

लेटलतीफी | **शासन ने 40 हजार 537 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि देने का निर्णय लिया है**

11 हजार विद्यार्थियों को नहीं मिली लैपटॉप की राशि

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत अंक लाने वाले कई जिले के विद्यार्थियों को अब तक लैपटॉप की 25 हजार रुपये राशि नहीं मिली है। पहले तो शासन ने इस सत्र में 12वीं में 85 फीसद से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि देना तय किया था। इसमें 16 हजार विद्यार्थी पात्र थे। इसके बाद लैपटॉप वितरण समारोह के एक दिन पहले शासन ने 80 फीसद से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि देने की घोषणा कर दी। इससे 40 हजार 537 हजार पात्र विद्यार्थियों की संख्या हो गई। 29 हजार 469 विद्यार्थियों को राशि मिल गई है, लेकिन अब तक 11 हजार विद्यार्थियों के खाते में राशि नहीं पहुंची। इस बार स्कूल शिक्षा विभाग को लैपटॉप के लिए 101 करोड़ रुपये की राशि खर्च करनी पड़ेगी। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पहले 85 फीसद अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची तैयार की गई थी। अब शासन के आदेश के बाद 80 फीसद से अधिक अंक वाले विद्यार्थियों की सूची तैयार की जा रही है। पात्र विद्यार्थियों का अकाउंट नंबर ट्रेस नहीं हो पाया है। ऐसे में विद्यार्थियों से संपर्क कर उनका अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है।

इन जिलों में इतने विद्यार्थी बाकी

जिले	पात्र विद्यार्थी	बाकी
इंदौर	2189	1394
शिवपुरी	2109	1162
ग्वालियर	1471	830
सागर	1301	819
छतरपुर	1294	756
मुरैना	1116	663
धार	893	603
भोपाल	1788	107

11 साल पहले शुरू हुई योजना

राज्य शासन ने वर्ष 2009-10 में प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। इसके तहत 2017 तक 12वीं में सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियों को 85 प्रतिशत अंक लाने पर एवं एससी, एसटी एवं विमुक्त, घुमक्कड़ समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों को 75 फीसद अंक लाने पर लैपटॉप की राशि दी जाती थी। वर्ष 2018 में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ विद्यार्थियों की मांग पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 75 फीसद अंक लाने वाले सभी वर्ग के विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि देने की घोषणा की थी। इससे विद्यार्थियों की संख्या तीन गुना बढ़ गई थी। तब 67 हजार विद्यार्थी इसके पात्र पाए गए थे। विद्यार्थी भी इस योजना के प्रति काफी उत्साहित रहते हैं।

> पात्र विद्यार्थियों के अकाउंट की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही शेष विद्यार्थियों को भी लैपटॉप की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
>
> **- लोकेश कुमार जाटव**
> आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र

सीएम राइज के लिए भेजे गए 520 स्कूलों के नाम

भास्कर न्यूज़ | सतना

प्रदेश सहित जिले के स्कूलों को सर्वसुविधा युक्त बनाने के लिए सीएम राइज योजना के तहत जिले से 520 स्कूलों के नाम स्कूल शिक्षा विभाग को भेजे गए हैं। प्रथम दृष्टया स्कूलों में जगह कितनी है, पेयजल की व्यवस्था है, इनरोलमेंट कितना है आदि जानकारियां भी भेजी गई हैं। स्कूल से जुड़े जानकार बताते हैं कि भोपाल स्तर पर बनाई गई टीम दिए गए स्कूलों की सूची का सत्यापन करेगी। इसके उपरांत ही यह तय हो सकेगा कि जिले से सीएम राइज योजना के लिए कितनी स्कूलों में काम होगा। इन 520 स्कूलों में प्राइमरी, माध्यमिक शालाओं के अलावा हाईस्कूल एवं हायर सेकंड्री स्कूल शामिल हैं।

नई शिक्षा नीति और कोरिया की पढ़ाई • सीएम राइज के तहत चिन्हित किए जा रहे स्कूलों में राष्ट्रीय स्तर पर लागू की गई नई शिक्षा नीति और दक्षिण कोरिया के पढ़ाई के पैटर्न को अपनाया जाएगा। पूर्व में जिले के कई प्राचार्य एवं तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी टीपी सिंह द्वारा दक्षिण कोरिया का भ्रमण कर वहां के पठन-पाठन की व्यवस्था देखी गई थी। अब इसी पैटर्न पर स्कूलों को डेवलप कर छात्र-छात्राओं की पढ़ाई कराई जाएगी।

भारतीय संस्कृति पर विशेष ध्यान • जानकारों ने बताया कि सीएम राइज योजना के तहत स्कूलों में किताबी ज्ञान के साथ-साथ विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति से भी ज्यादा से ज्यादा जोडऩे का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा भी स्कूलों में संचालित होगा।

यह कह सकते हैं कि 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों को नैतिक संस्कार दिए जाएंगे, वहीं कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्र-छात्राओं को कौशल ज्ञान, स्किल डेवलेपमेंट, कम्प्यूटर से सीधा जोड़ा जाएगा।

जीवन बीमा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

बीमा कराते समय यदि बीमारियां छिपाई तो खारिज हो सकता क्लेम

नई दिल्ली | एजेंसी

जीवन बीमा लेते समय यह बीमा लेने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी बीमारियों से संबंधित सभी और सही जानकारियां बीमा कंपनी के साथ साझा करे। ऐसा न करने पर बीमा कंपनी दावा खारिज कर सकती है। इसी से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, इंदू मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बीमा अनुबंध अत्यधिक भरोसे पर आधारित होता है। ऐसे में जीवन बीमा लेने के इच्छुक लोगों के लिए हर वैसी जानकारियों का खुलासा करना उनका दायित्व हो जाता है, जिनका संबंधित मुद्दों पर किसी प्रकार का असर हो सकता है। अदालत ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के इस साल मार्च के एक फैसले को निरस्त करते हुए यह टिप्पणी की।

बीमारियों का खुलासा करने की जरूरत

पीठ ने कहा कि प्रस्ताव के फॉर्म में पुरानी बीमारियों का अलग से खुलासा करने की जरूरत होती है। ताकि, बीमा करने वाली कंपनी बीमांकिक जोखिम के आधार पर एक विचारशील निर्णय पर पहुंचने में सक्षम हो सके। बीमे का अनुबंध अत्यधिक भरोसे पर आधारित होता है। यह बीमा लेने के इच्छुक हर व्यक्ति का दायित्व हो जाता है कि वह संबंधित मुद्दे को प्रभावित करने वाली सारी जानकारियों का खुलासा करे, ताकि बीमा करने वाली कंपनी बीमांकिक जोखिम के आधार पर किसी विवेकपूर्ण निर्णय पर पहुंच सके।

भास्कर खास • सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता फोरम का फैसला पलटा, विशेषाधिकार से दी महिला को राहत

बीमारी छुपा बीमा लिया, मौत के बाद मां को मिला क्लेम... सुप्रीम कोर्ट में कंपनी जीती, मगर जज बोले- बूढ़ी मां से रिकवरी नहीं होगी

कोर्ट ने कहा- बीमा धारक को बीमारी का खुलासा करना जरूरी, वरना क्लेम अमान्य साबित होगा

पवन कुमार | नई दिल्ली

बीमा क्लेम को लेकर पंजाब के तरनतारन में एक अजब मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। कुलवंत सिंह ने जीवन बीमा लेते समय बीमारी छिपाई। पॉलिसी लेने के एक महीने बाद ही उसकी मौत हो गई। कुलवंत की मां दलबीर कौर ने क्लेम किया। बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की और जीत गई। बीमा कंपनी राज्य उपभोक्ता फोरम और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन से भी हार गई। मगर, सुप्रीम कोर्ट में बीमा कंपनी सही साबित हुई और उसे जीत भी मिल गई। मगर तब तक पीड़िता की मां को 17 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाने के साथ यह भी कहा कि वह क्लेम लेने वाली महिला से रकम की वसूली नहीं करेगी। ऐसे में बीमा कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से जीत मिलने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी भी की है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बीमा के लिए अनुबंध एक बेहद भरोसे पर आधारित होता है। इसलिए बीमा धारक की जिम्मेदारी है कि वह सभी तथ्यों का खुलासा कंपनी के समक्ष करे। बीमा कंपनी की जांच में खुलासा हुआ है कि कुलवंत द्वारा पॉलिसी लेने से एक महीने पहले उसे खून की उल्टी हुई थी और उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उसकी बीमारी का कारण शराब का अत्यधिक सेवन करना था। मगर उसने इस तथ्य को छुपाया। इस अहम तथ्य को नेशनल कंज्यूमर फोरम ने अनदेखा किया है, इसलिए उनका आदेश रद्द किया जाता है। चूंकि कुलवंत की मां दलबीर की देखरेख करने वाला कोई नहीं है, इसलिए कोर्ट संविधान के आर्टिकल 142 के तहत मिली अपनी विशेष शक्तियों का मानवता के आधार पर प्रयोग करते हुए बीमा कंपनी को आदेश देती है कि वह उन्हें दी गई रकम की वसूली नहीं करेगी।

शराब का आदी था कुलवंत सिंह, इलाज की बात कंपनी से छिपाई थी

कुलवंत सिंह ने 5 अगस्त 2014 को बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस से बीमा करवाया। मां दलबीर कौर को नॉमिनी बनाया। उसने बीमा कंपनी से छिपाया कि उसे पूर्व में कोई बीमारी नहीं है। कंपनी ने 12 अगस्त 2014 को बीमा पॉलिसी जारी कर दी। पॉलिसी जारी होने के एक महीने बाद उसकी मौत हो गई। 12 सितंबर 2014 को दलबीर कौर ने दावा किया। बीमा कंपनी ने जांच में पाया कि कुलवंत का तरनतारन के चैरिटेबल अस्पताल में पहले से ही इलाज चल रहा था। वह अत्यधिक शराब का सेवन करता था।

दुखद ● नीट के परीक्षा परिणाम में पोर्टल पर 6 अंक दिखे तो छात्रा ने की खुदकुशी

तकनीक धोखा न देती तो आज जिंदा होती विधि

छिंदवाड़ा (नईदुनिया प्रतिनिधि)। तकनीकी गड़बड़ी किस तरह किसी होनहार की जान ले सकती है, छिंदवाड़ा में इसका एक दर्दनाक उदाहरण सामने आया है। छिंदवाड़ा के परासिया की मैगजीन लाइन निवासी छात्रा विधि सूर्यवंशी ने पोर्टल पर नीट का परीक्षा परिणाम देखा। वहां उसे प्राप्त अंकों के साथ पर सिर्फ 6 अंक दिखे। इससे हताश होकर उसने आत्महत्या कर ली। कुछ दिन बाद परिजनों ने जब ओएमआर शीट पर नंबर देखे तो पता चला कि विधि को कुल 590 अंक मिले हैं।

पिता गजेंद्र सूर्यवंशी के मुताबिक विधि ने सोमवार को पोर्टल पर परीक्षा परिणाम देखा। वह यह देखकर तनाव में आ गई कि उसे महज 6 अंक मिले हैं। इसके दो दिन बाद बुधवार को उसने घर में ही साड़ी का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। पिता गजेंद्र रोते हुए बताते हैं कि बेटी के खुदकुशी करने के बाद बुधवार शाम को बेटे ने पोर्टल पर ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन) शीट से अंकों का मिलान किया तो उसमें 590 अंक निकले।

	200411156125
	Indian
/YYYY)	20/02/2002
	Female
Total Marks Obtained (out of 720)	6
NEET All India Rank	1344563

पोर्टल पर अंक **6** दिखाए गए थे।

विशेषज्ञ का कहना है

मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी ओएमआर शीट को चेक करने की गलती सामने आई है। परिणाम जारी होने पर कुछ विद्यार्थियों को वेबसाइट पर कम अंक दिखाई दिए, लेकिन जब ओएमआर शीट चेक की गई तो उसमें ज्यादा अंक थे। इस तरह की गलती आगे न हो, इसके लिए परीक्षा ऑनलाइन कराना जरूरी हो गया है।

– विजित जैन, परीक्षा विशेषज्ञ, इंदौर

पढ़ाई वाले कमरे में ही दी जान: पिता गजेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि विधि बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। लौटने के बाद वह अपने स्टडी रूम में चली गई। स्टडी रूम घर के पिछले हिस्से में है। कुछ देर बाद घर वाले उसके कमरे में पहुंचे तो देखा कि उसने साड़ी का फंदा बनाकर पंखे से लटक कर जान दे दी है।

जरा धैर्य रख लेती तो बच जाती: यदि विधि पोर्टल पर नंबर देखकर तनाव में आने के बजाय थोड़ा धैर्य रखती और ओएमआर शीट से नंबरों के मिलान का इंतजार कर लेती तो आज जिंदा होती। पिता का कहना है कि उसे पढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोटा। कोटा में नीट की कोचिंग भी कराई थी, मगर वह इस तरह चली जाएगी, सोचा न था।

आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। जीवन अनमोल होता है। विद्यार्थियों को असफलता मिले तो भी तनाव लिए बिना भविष्य की तैयारी करना चाहिए।

– कामना वर्मा, प्राचार्य, राजमाता कन्या महाविद्यालय, छिंदवाड़ा

हम आत्महत्या की वजह का पता लगा रहे हैं। प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं आने से छात्रा तनाव में थी और उसने यह कदम उठाया।

– सुमेर सिंह जगेत, थाना प्रभारी परासिया, छिंदवाड़ा

अंधविश्वास के चलते मां ने की 24 वर्षीय पुत्र की हत्या

पन्ना (नप्र)। अंधविश्वास के चलते मां ने अपने बेटे की सोते समय से कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। वारदात पन्ना जिले के कोतवाली के कोहनी गांव की बुधवार रात करीब ढाई बजे की है। इस वारदात का गुरुवार सुबह जब लोगों को पता चला तो वे स्तब्ध रह गए। पुलिस ने मौके से हत्या की वारदात में इस्तेमाल खून से सनी कुल्हाड़ी जब्त कर ली है।

कमिश्नर ने मऊगंज के तत्कालीन सीईओ को दो वेतन वृद्धियां रोकने थमाया नोटिस

रीवा(नव स्वदेश)। कमिश्नर रीवा संभाग राजेश कुमार जैन ने जनपद पंचायत मऊगंज के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसके मिश्रा को कदाचरण करने पर सिविल सेवा (आचरण नियम) 1965 के 3 के प्रावधानों के तहत असंचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस दिया है। उन्हें अपना पक्ष रखने के लिये 10 दिवस का समय दिया है। कमिश्नर श्री जैन ने बताया कि जनपद पंचायत मऊगंज के तत्कालीन सीईओ वर्तमान में जनपद पंचायत लवकुश नगर जिला छतरपुर एसके मिश्रा ने जनपद पंचायत मऊगंज में कार्यरत रहते हुये जनपद मऊगंज में संधारित जावक पंजी में कई माहों में खाली जावक क्रमांक छोड़े है ये संदेहास्पद है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में मऊगंज के 79 रोजगार सहायकों के गोपनीय प्रतिवेदन मतांकन हेतु प्रस्तुत करने पर सीईओ ने केवल 5 ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों के गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन किया शेष गोपनीय प्रतिवेदनों में मतांकन नहीं किया।यह कृत्य कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति घोर लारवाही एवं उदासीनता बरतने का द्योतक है जो गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः सीईओ एसके मिश्रा को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने हेतु नोटिस जारी किया गया है।

लापरवाह प्राचार्य को वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस

रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने सतना जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकवाह के प्राचार्य पीडी सोनी को नोटिस दिया है। श्री सोनी को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस दिया गया है। विद्यालय के बोर्ड परीक्षा परिणाम केवल सात प्रतिशत रहने, विद्यालय परिसर एवं कक्षों में गंदगी व्याप्त होने, निरीक्षण के दौरान चार नियमित कर्मचारियों तथा 11 अतिथि शिक्षकों के अनुपस्थित पाये जाने, साइकिल वितरण एवं सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने को गंभीर कदाचार मानते हुए नोटिस दिया गया है। यह नोटिस मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत दिया गया है। नोटिस का 10 दिवस में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

41 संकुल प्राचार्यों के वेतन आहरण, भुगतान पर रोक लगाई गई

सतना,(नव स्वदेश)। जिला शिक्षा अधिकारी केएस कुशवाह ने आदेश जारी किया है कि जिले के कई संकुल प्राचार्यो के द्वारा वर्ष 2019-20 की छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्वीकृत नहीं की गई है तथा छात्रों के बैंक खाते त्रुटिपूर्ण होने के कारण राशि उनके खातों में अंतरित नहीं हो पाई है (जिसकी सूची डी.डी.ओ. लॉगिन पर उपलब्ध है)। 2 सितम्बर को आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग में आयुक्त द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई। जिले में अब भी 15455 छात्रों में मात्र 6871 छात्रों के खातों का सुधार 8 अक्टूबर .2020 तक किया गया है। संबंधित संकुल प्राचार्य, डी.डी.ओ. द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

जिले 41 संकुल प्राचार्यो, डी.डी.ओ. द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिये जाने पर कार्य पूर्ण होने तक वेतन आहरण एवं भुगतान पर रोक लगाई गई है। जिसके अनुसार विकासखंड मैहर के संकुल केन्द्र शा.उमावि सभागंज, शा.उमावि अमदरा, शा.उमावि बा.मैहर, शा.उमावि झुकेही, शा.उमावि अजमाइन, विकासखंड मझगवां के शा.उमावि शुकवाह, शा.उमावि बा0मझगवां, शा.उमावि बैरहना, शा.हाईस्कूल रिमारी, शा.उमावि क.जैतवारा, शा.उमावि कामता चित्रकूट, शा.उमाविक. बिरसिंहपुर, शा.उमावि बा. बिरसिंहपुर, शा.उमावि नकैला, विकासखंड सोहावल के शा.उमावि घूरडांग, शा.उमावि क.धवारी, शा.उमावि हाटी, शा.उमावि व्यंकट-2, शा.उमावि सकरिया, शा.उमावि टिकुरिया टोला, शा.उमावि बगहा, विकासखंड रामनगर के शा.उमावि कंदवारी, शा.उमावि हिनौती, शा.उमावि मर्यादपुर, विकासखंड रामपुर बाघेलान के शा.उमावि कृष्णगढ़, शा.उमावि चोरहटा, शा.उमावि बिहरा क्र.-1, शा.उमावि गोलहटा, शा.उमावि सिजहटा, शा.उमावि अबेर, विकासखंड अमरपाटन के शा.उमावि क.मुकुन्दपुर, शा.उमावि त्यौंधरी, शा.उमावि करही, विकासखंड नागौद के शा.उमावि क.नागौद, शा.उमावि बा.नागौद, शा.उमावि बसुधा, शा.उमावि दुरेहा, शा.उमावि सितपुरा तथा विकासखंड उचेहरा के शा.उमावि क. उचेहरा, शा.उमावि बा.उचेहरा एवं शा.उमावि इचौल शामिल हैं।

सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए 19 नवंबर तक करें आवेदन

एजुकेशन अपडेट

● लेक सिटी रिपोर्टर ●

सैनिक स्कूल में अगले शैक्षणिक सत्र में छठीं और नौंवी कक्षा में दाखिला प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की विंडो शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र 19 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। पहली बार बेटियों को भी सैनिक स्कूल में पढ़ाई का मौका मिलेगा। सैनिक स्कूल में दाखिला ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (एआईएसएसईई) 2021 के आधार पर मिलेगा। दाखिला प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) आयोजित करेगी। देश के विभिन्न शहरों में 10 जनवरी को एआईएसएसईई 2021 का आयोजन किया जाएगा। पेन-पेपर आधारित दाखिला प्रवेश परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।

आर्ट टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन वर्कशॉप आज से

लेक सिटी रिपोर्टर। आर्ट डिजाइन टीचर्स फोरम और सर्जना एकेडमी फॉर डिजाइन एंड फाइन आर्ट की ऑनलाइन श्रृंखला 'आर्ट एंड बियॉन्ड' के अंतर्गत फाइन आर्ट्स के बाद अब नए प्रयोग किए जा रहे हैं। डिजाइन वर्कशॉप की कड़ी में पहली वर्कशॉप कम्युनिकेशन डिजाइन पर होगी, जिसे नेशनल डिजाइन अवॉर्डी सिद्धांत शाह संचालित करेंगे। वर्कशॉप आज 23 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे से जूम प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाएगी। ये वर्कशॉप आर्ट टीचर्स और 11वीं व 12वीं के डिजाइन में कॅरियर के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क है।

सीबीएसई 27 से शुरू करेगा विजिलेंस अवेयरनेस सप्ताह

लेक सिटी रिपोर्टर। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक कराया जाएगा। इसके तहत सीबीएसई स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम ऑनलाइन कराई जाएगी। बोर्ड के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस वीक की थीम है 'सतर्क भारत, समृद्ध भारत'। इसके तहत कक्षा 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों और शिक्षकों को इंटेग्रिटी का शपथ ऑनलाइन दिलाई जाएगी, जिसकी रिपोर्ट सभी स्कूलों को बोर्ड को भेजना होगी।

शालाओं की किचन गार्डन में उगाई जा रही सब्जियों से स्कूली विद्यार्थियों को मिलेगा पौष्टिक भोजन

उमरिया, (नव स्वदेश)। स्कूली बच्चों को मिलने वाले मध्यान्ह भोजन में जैविक और ताजी सब्जियां सहज रुप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था के तहत करकेली जनपद पंचायत की माध्यमिक शाला निगहरी, बिलासपुर, घुलघुली, बालक उमरिया, बालक चंदिया, मिडिल स्कूल पठारी , मिडिल स्कूल भुण्डी, मिडिल स्कूल मझगवां, कौडिया 63 , सिलौडी , मिडिल स्कूल मुण्डा, मिडिल स्कूल करकेली, मिडिल स्कूल बरही, मिडिल स्कूल घोघरी , प्रायमरी स्कूल उदरी, मिडिल स्कूल बरहटा , मिडिल स्कूल कन्या, लोरहा, प्रायमरी स्कूल टंगराटोला, मिडिल स्कूल डगडौआ, हडहा, चांदकला, मिडिल स्कूल नौरोजाबाद, मिडिल स्कूल जैतपुरी आदि में किचन गार्डन के माध्यम से हरी सब्जियां रोपित की गई है। कोरोना काल में भले ही शालाओं में पठन-पाठन की गतिविधियां अभी नहीं चल रही हैं। फिर भी बच्चों के मध्यान्ह भोजन के लिये जैविक पद्धति से तैयार की जा रही हरी सब्जियां उपलब्ध हो रही हैं। ग्रामीण और बच्चों के अभिभावकों ने कोरोना काल में शिक्षकों के इस प्रयास की सराहना की है।

जनपद पंचायत करकेली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर के मण्डावी ने बताया क जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंशुल गुप्ता के मार्गदर्शन में शासन की मंशानुसार जिले में चिन्हित शासकीय विद्यालयों

जहां बाउण्ड्रीवाल की उपलब्धता के साथ ही पानी की व्यवस्था है में हरी सब्जी उत्पादन की योजना अमल में लाई जा रही है। सिंचाई के लिये पानी की उपलब्धता और सुरक्षित बाउन्डरी वॉल युक्त शालाओं को चिन्हित कर किचिन गार्डन विकसित करने 5-5 हजार रुपये की राशि भी जिला पंचायत के द्वारा प्रदाय की गई। किचिन गार्ड तैयार करने में शालाओं के स्टाफके साथ मध्यान्ह भोजन बनाने वाले स्वसहायता समूहों की महिलाओं का भी भरपूर सहयोग लिया गया।

किचन गार्डन में टमाटर, मिर्चा, भाटा, धनिया, पालक, मूली , मटर , गिलकी, भिण्डी की अच्छी पैदावार हो रही है। स्वसहायता समूह और विद्यालय के स्टाफ ने गार्डन को ईंटों से सजाकर बेहतर स्वरुप दिया है और प्रतिदिन पौधों की सिंचाई, गुड़ाई तथा देखरेख इन्ही के द्वारा की जाती है। विद्यालयों के किचन गार्डन को देखकर बाउन्डरी वॉल और पानी की सुविधा वाले जनशिक्षा केन्द्र के अन्य विद्यालयों के शिक्षा भी बिना किसी सहायता के किचन गार्डन विकसित करने की तैयारी कर रहे हैं। जिला प्रशासन की इस पहल से जहां स्कूली बच्चों को पौष्टिक मध्यान्ह भोजन मिलने से कुपोशण से निजात मिलेगा वहीं अब स्कूली बच्चे उद्यानिकी गतिविधियों से भी अवगत होंगे। साथ ही शाला को एक सुंदर एवं स्वच्छ परिसर मिल रहा है।

बाल आयोग ने शुरू की 'संवेदना' टोल फ्री टेली काउंसलिंग

भोपाल। कोरोना संक्रमण के चलते मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे बच्चों के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नई पहल की है। आयोग ने 'संवेदना' नाम से टोल फ्री टेली काउंसलिंग शुरू की है। इसके लिए टोल फ्री नम्बर 1800-1212-830 जारी किया गया है, जिस पर बच्चें कॉल कर विशेषज्ञों से बात कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते है। कोविड-19 के दौरान 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा है। ऐसे बच्चें टोल फ्री नम्बर पर सुबह 10 से एक बजे तक और दोपहर 3 से रात्रि 8 बजे तक सोमवार से शनिवार अपनी समस्याओं पर विषय विशेषज्ञों, काउंसलर से बात कर सकते है।

30 हजार शिक्षक दो साल से कर रहे नियुक्ति का इंतजार

अब हर रोज एक वक्त का खाना खाएंगे चयनित शिक्षक

स्टार समाचार छतरपुर

मप्र के लगभग 30 हजार चयनित शिक्षक पिछले दो वर्षों से अपनी नियुक्ति आदेश के लिए इंतजार कर रहे हैं। उक्त अभ्यर्थियों का चयन वर्ष 2018 में वर्ग-1 और वर्ग-2 शिक्षक पात्रता परीक्षा में हुआ था लेकिन दो साल गुजरने के बाद भी इन चयनित शिक्षकों को संबंधित स्कूलों में नियुक्त नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 के बाद वर्ष 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई थी। लगभग 7 साल से शिक्षक बनने की तमन्ना रखने के बाद अभ्यर्थियों ने जी-जान से पढ़ाई की, परीक्षा को पास किया लेकिन फिर भी उक्त अभ्यर्थी दो साल से नियुक्ति आदेश के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। सरकार चयनित शिक्षकों को लेकर स्पष्ट नहीं है। प्रदेश की 28 सीटों पर चल रहे उपचुनाव में इन चयनित शिक्षकों के परिवारों का गुस्सा सरकार को झेलना पड़ सकता है।

राजनैतिक तमाशे का हिस्सा बन गई शिक्षकों की नौकरी

मप्र में पिछले कुछ वर्षों में शिक्षकों की भर्ती राजनैतिक तमाशे का हिस्सा बन गई है। चुनावी फायदे के लिए सरकार के द्वारा एक साल सिर्फ ऐलान किया जाता है। अगले साल नौकरियां निकलती हैं फिर उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है। जब तक चुनाव आ जाते हैं ऐसे में एक साल और गुजर जाता है। सरकार लौटी तो नौकरी मिलती है अन्यथा नई सरकार नया पेंच फंसा देती है। 2011 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए 2 साल का इंतजार करना पड़ा था। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। छतरपुर के चयनित शिक्षक मिथलेश हरदेनिया ने बताया कि 2017 में शिवराज सरकार ने शिक्षक भर्ती करने का ऐलान किया था। 2018 में चुनाव के पहले भर्तियां निकाली गईं और फिर नई सरकार ने 2019 में परीक्षाएं कराईं। राजनैतिक घटनाक्रम के कारण कमलनाथ सरकार चली गई और फिर शिवराज सरकार आ गई। इसी में 15 महीने और गुजर गए। 2020 खत्म होने को है लेकिन शिक्षकों को अब तक नियुक्ति आदेश नहीं मिले हैं।

अब एक वक्त का खाना खाएंगे चयनित शिक्षक

छतरपुर के चयनित शिक्षक इन्द्रकुमार रावत ने बताया कि प्रदेश भर के 30 हजार चयनित शिक्षकों के परिवार पिछले दो वर्षों से मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे हैं। चयनित होने के बाद भी नौकरी न मिलने के कारण इनके परिवारों को भरण-पोषण की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हम भोपाल, ग्वालियर में दर्जनों धरने प्रदर्शन, ज्ञापन आदि कर चुके हैं। जिला स्तर पर भी खूब ज्ञापन दिए गए लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हमें यह नहीं बताया जा रहा है कि आखिर हमें किस गुनाह की सजा मिल रही है। उन्होंने कहा कि नवरात्र के इस पवित्र मौके पर हम सभी शिक्षक आज यह प्रण ले रहे हैं कि जब तक हमें नियुक्ति आदेश नहीं मिल जाता तब तक हम एक वक्त का खाना खाएंगे। अगर हमारा व्रत कोई पुण्य लाभ देगा तो इसका लाभ मिलेगा।

प्रायवेट स्कूल संचालकों ने भूख हड़ताल कर दिया धरना, विशेष पैकेज की मंग

शहर प्रतिनिधि, भोपाल। स्कूल खोलने सहित पांच सूत्रीय मांगो को लेकर गुरूवार को प्रायवेट स्कूल संचालकों ने नीलम पार्क में एक दिनी भूख हड़ताल करते हुए धरना दिया। इस दौरान निजी स्कूल संचालकों ने राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मप्र प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि प्रदेशभर में 250 से अधिक स्थानों पर निजी स्कूल संचालकों द्वारा भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपें जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरूवार को राजधानी में निजी स्कूलों द्वारा धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सिंह ने बताया कि एसोसिएशन की मांग है कि प्रायवेट स्कूलों में आरटीई के तहत पढ़ने वाले विद्यार्थियों की वर्ष 2011-12 से 2019-20 की राशि का तत्काल भुगतान किया जाए। प्रायवेट स्कूलों की कक्षा पहली से बारहवीं तक की मान्यता का 5 वर्षों के लिए नवीनीकरण की जाए। कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करते हुए तत्काल स्कूलों को संचालित करने के आदेश जारी किए जाएं। स्कूलों द्वारा लिए गए लोन की मासिक किश्त वर्तमान सत्र के लिए रोकी जाए और ब्याज माफ किया जाए। सरकार द्वारा स्कूल संचालकों और शिक्षक स्टॉफ को आर्थिक मदद दी जाए। अध्यक्ष सिंह ने सरकार से अपील की है कि एसोसिएशन की मांगो का 15 दिन के भीतर निराकरण किया जाए। मांगो का निराकरण नहीं होने की स्थिति में एसोसिएशन आमरण अनशन के लिए बाध्य होगा।

विशिष्ट भाषा एवं सामान्य भाषा का प्रावधान समाप्त

रीवा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मप्र ने संबंद्धता प्राप्त संस्थाओं में वर्ष 2020-21 से कक्षा 9 वीं से 11 वीं तक की क्षाओं में विशिष्ट भाषा एवं सामान्य भाषा का प्रावधान समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर नई व्यवस्था लागू की गई है। इसमें अंतर्गत विशिष्ट एवं सामान्य भाषा के अलग अलग पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र न होकर केवल एक भाषा का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। नई व्यवस्था के तहत हिन्दी विशिष्ट एवं सामान्य के स्थान पर हिंदी भाषा, अंग्रेजी विशिष्ट एवं सामान्य के स्थान पर अंग्रेजी भाषा, संस्कृत विशिष्ट एवं सामान्य के स्थान पर संस्कृत भाषा, उर्दू विशिष्ट एवं सामान्य के स्थान पर उर्दू भाषा का प्रावधान होगा। इसी प्रकार शैक्षणिक सत्र 2020-21 से मंडल द्वारा आयोजित हाई और हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं में भी अब विशिष्ट भाषा एवं सामान्य भाषा के स्थान पर अब मात्र संबंधित विषय का उपरोक्तानुसार एक प्रश्न पत्र होगा। साथ ही हायर सेकेण्डरी के वाणिज्य एवं कला संकाय में अर्थशास्त्र विषय के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अनुसार समान पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें लागू की गई हैं। अर्थशास्त्र विषय का पाठ्यक्रम वाणिज्य एवं कला संकाय के लिए समान रहेगा।

दीवाली से पहले एरियर राशि देने पर कर्मचारी संघ ने जताया आभार

रीवा। मप्र लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष राघव शरण मिश्रा, महामंत्री मिथिलेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष सीपी दाहिया ने मुख्यमंत्री द्वारा सातवें वेतनमान का एरियर की रोकी गई राशि देने की घोषण का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री की घोषणा पर आभार जताया है। साथ ही प्रदेशाध्यक्ष सहित कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि कर्मचारियों की रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धि एवं 5 फीसदी डीए के भी आदेश जारी कर दिए जाएं। इसके पूर्व में लिपिक संघ ने कलम बंद हड़ताल किया था। मुख्यमंत्री के रीवा प्रवास पर भी ज्ञापन देकर इस तरफ ध्यान आकर्षित कराया था। इसमें लिपिकों के ग्रेड पे का उन्नयन रुपए 1900 रुपए के स्थापन पर 2400 रुपए करने की मांग की गई थी। लिपिक संघ के पीएल तिवारी, बीएम चतुर्वेदी, एसबी कुशवाहा, केके मिश्रा, बीके द्विवेदी, केपी तिवारी, जैनेन्द्र साहू, अनिल सिंह चौहान, मीरा आरख, कुशेन्द्र कुमार, दामोदर शर्मा, बाल किशन बैरागी आदि ने प्रसन्नता व्यक्त की है।

माशिमं ने बढ़ाई ऑनलाइन नामांकन की तिथि

रीवा। सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं या उससे ऊपर की कक्षा में प्रवेशितों के लिए ऑनलाइन नामांकन की तिथि बढ़ा दी गई है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के नवप्रवेशी छात्र जिनका माध्यमिक शिक्षा मण्डल में नामांकन नहीं है, वह अब 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन नामांकन करा सकेंगे। सभी नियमित छात्रों के ऑनलाइन नामांकन कराने की जिम्मेदारी विद्यालयों की होगी। इस लिहाज से ही माशिमं ने विद्यालय प्राचार्यों को सूचना दी है। वहीं, स्वाध्यायी छात्रों को भी अपने केंद्र से सम्पर्क कर नामांकन कराना तय करना होगा। चूंकि अब नामांकन के लिए 8 दिन और बचे हैं। इस लिहाज से माशिमं ने समय पर सभी छात्रों का नामांकन कार्य कराने में तेजी लाने की हिदायत विद्यालयों को दी है। गौरतलब है कि सत्र 2020-21 के ऑनलाइन नामांकन की तिथि माशिमं ने पहले 30 सितम्बर निर्धारित की थी। परंतु विलम्ब से शैक्षणिक सत्र शुरू होने से कई छात्र नामांकन से वंचित रह गए। कोरोना काल के कारण प्रवेश प्रक्रिया भी सुचारू ढंग से नहीं चल पाई। जैसे-तैसे स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया पूरी की लेकिन अब कई छात्रों का नामांकन न होने से यह परेशानी का सबब बना रहा। जिसे देखते हुए अब माशिमं ने ऑनलाइन नामांकन के लिए छात्रों को एक और मौका दे दिया है। बता दें कि यह नामांकन होने के बाद ही छात्र 10वीं, 12वीं की मुख्य परीक्षा के फार्म भरने के पात्र हो सकेंगे।

जीईसी की छात्रा का शोधपत्र इंटरनेशनल जरनल में प्रकाशित

रीवा। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की छात्रा सपना पुरूषोत्तम दास बिलैया का शोधपत्र इंटरनेशनल जरनल में प्रकाशित हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की इस छात्रा ने क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिवर वाटर ऑफ रीवा सिटी मप्र, ए रिव्यू विषय पर शोध पत्र प्रकाशित कराया है। महाविद्यालय के जिरोस ग्रुप के समन्वयक एवं रसायन विभाग के अध्यक्ष डॉ मनोज कुमार सोलंकी के मार्गदर्शन में छात्रा ने यह उत्कृष्ट शोध कार्य किया। इस शोध पत्र में जिले की नदी के पानी की गुणवत्ता का वर्णन किया गया है। जिरोस ग्रुप के मुख्य संरक्षक व प्राचार्य डॉ बीके अग्रवाल, संरक्षक डॉ आरपी तिवारी सहित अन्य शिक्षकों ने छात्रा की इस सफलता पर हर्ष व्यक्त किया है।

केन्द्रीय छात्रवृत्ति के लिये आवेदन 31 तक

रीवा। केन्द्र सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग छात्र-छात्राओं से विभिन्न श्रेणियों में प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये 31 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक ने बताया कि ऐसे दिव्यांग छात्र-छात्राएं जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक है तथा जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये हैं, वे प्री-मैट्रिक कक्षा 11 से स्नातकोत्तर स्तर तक के लिये केन्द्र छात्रवृत्ति के लिये 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिन दिव्यांग छात्र-छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय 6 लाख रूपये है, वे टॉप क्लास उत्कृष्टता के 241 अधिसूचित संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमाधारी दिव्यांग छात्रों के लिये उच्च श्रेणी शिक्षा वर्ष 2020.21 के लिये 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते है। विद्यालय, महाविद्यालय, शासकीय, अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्रों का सत्यापन 15 नवम्बर के पूर्व किया जायेगा।

छात्रवृत्ति के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 31 तक

रीवा । भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जिले के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2020.21 में दी जाने वाली प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक व मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसके लिए शैक्षणिक संस्था स्तर पर विद्यार्थियों के ऑनलाइन भरे गये आवेदनों को अग्रिम चरण के लिये ऑनलाइन व्हेरीफिकेशन हेतु शैक्षणिक संस्थाओं का ई केवाईसी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। सहायक संचालक पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सीएल सोनी ने बताया कि यदि किसी शैक्षणिक संस्था का ई केवाईसी रजिस्ट्रेशन लंबित है तो वह पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कलेक्ट्रेट में तत्काल सम्पर्क कर ई केवाईसी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करें।

अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी जेईई परीक्षा

नई दिल्ली, जेएनएन। इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाले ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (जेईई) का आयोजन अगले साल और भी क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा। इसे बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले साल से जेईई मेन परीक्षा और ज्यादा क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इसके लिए ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह फैसला किया है। अभी तक परीक्षा का आयोजन सिर्फ इंग्लिश, हिंदी और गुजराती भाषाओं किया जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है।

निजी विश्वविद्यालयों के शुल्क निर्धारण के लिए कमेटी बनी

भोपाल (नप्र)। राज्य शासन ने प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में संचालित होने वाले विभिन्न कोर्स के शुल्क निर्धारण के लिए गुरुवार को कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी निजी विश्वविद्यालयों के आय-व्यय के आधार पर कोर्सेस के शुल्क का निर्धारण करेगी। कमेटी का अध्यक्ष माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विवि के पूर्व रेक्टर लाजपत आहूजा को बनाया गया है। कमेटी में हमीदिया महाविद्यालय के प्रोफेसर अनिल शिवानी, पत्रकारिता विवि की वित्त अधिकारी रिंकी जैन के अलावा चार सीए को शामिल किया गया है। कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि निजी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से मनमाना शुल्क नहीं वसूल कर सकें। राज्य सरकार को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि निजी विवि लगातार विद्यार्थियों से मनमाना शुल्क वसूल कर रहे हैं।

आदेश ● राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा मामले में हाई कोर्ट ने एफआइआर की निरस्त

आपत्तिजनक सवाल पूछने के मामले में लोक सेवा आयोग के पदाधिकारियों को बड़ी राहत

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। भील समुदाय को लेकर प्रश्न-पत्र में कथित आपत्तिजनक सवाल शामिल करने के मामले में मप्र लोक सेवा आयोग के पदाधिकारियों को बड़ी राहत मिल गई। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उनके खिलाफ दायर एफआइआर को निरस्त कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि भील समुदाय की भावनाओं का सम्मान है, लेकिन ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ है कि पदाधिकारियों या किसी अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।

गौरतलब है कि 12 जनवरी 2020 को मप्र लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में भील जनजाति को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए आपत्तिजनक सवाल पूछा गया था। इस मामले में शिकायत होने के बाद पुलिस ने आयोग के अध्यक्ष भास्कर चौबे, सचिव रेणु पंत, परीक्षा नियंत्रक डॉ. रवींद्र पंचभाई के खिलाफ अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया था। एफआइआर के खिलाफ पदाधिकारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

उनका कहना था कि उन्होंने परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और कही गई बातें पुस्तकों से ली हैं। इसमें कोई अपराध नहीं है। इधर शासन ने भी मामले में याचिका दायर की थी।

जस्टिस एससी शर्मा ने पिछले दिनों दोनों ही याचिकाओं में बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इसे गुरुवार को जारी किया। कोर्ट ने पदाधिकारियों के खिलाफ दायर एफआइआर निरस्त करते हुए कहा कि भील समुदाय की भावनाओं का सम्मान है, लेकिन प्रश्न में जो कुछ पूछा गया था वह पाठ्यपुस्तकों से ही लिया गया था।

इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पदाधिकारियों या किसी अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।

स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष में एक नवंबर से मिलेगा प्रवेश

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। स्नातक के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर के तीसरे सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया एक नवंबर से शुरू होगी। 30 अक्टूबर तक सभी कक्षाओं के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इसके बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूजी के द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षाओं में भी इस बार ऑनलाइन प्रवेश ही होंगे। इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से छात्रों को एकमुश्त फीस नहीं भरनी होगी। विद्यार्थी किस्तों में फीस जमा कर सकेंगे। हालांकि, पोर्टल शुल्क के तौर पर विद्यार्थियों पर 50 से 100 रुपये तक अतरिक्त भार आएगा।

गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से यूजी प्रथम, द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं प्रोजेक्ट के आधार पर करवाई गई थीं। अब इन परीक्षाओं के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने 30 अक्टूबर तक सभी रिजल्ट घोषित करने के लिए कहा है। 29 अक्टूबर तक यूजी प्रथम वर्ष व पीजी के पहले सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद यूजी द्वितीय और तृतीय वर्ष तथा पीजी के तीसरे सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

छात्र-छात्राओं को अपनी मार्कशीट लेकर कॉलेज जाना होगा। वहां नामांकन नंबर से पूरी जानकारी ऑनलाइन हो जाएगी। इस बारे में उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी डॉ. धीरेंद्र शुक्ला का कहना है कि सभी विश्वविद्यालयों को हर हाल में 30 अक्टूबर तक नतीजे जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। छात्र भी दाखिले के लिए तैयार रहें।

उच्च शिक्षा

- **30 अक्टूबर तक सभी कक्षाओं के रिजल्ट हो जाएंगे जारी**
- **किस्तों में भर सकेंगे फीस, 50 से 100 रुपये पोर्टल शुल्क देना होगा**

प्रदेश में 4 हजार आरक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी

भोपाल (नवदुनिया स्टेट ब्यूरो)। उपचुनाव से पहले भाजपा सरकार ने चार हजार पुलिस आरक्षक की भर्ती करने का दांव खेला है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) ने पुलिस आरक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि भाजपा को इसका फायदा ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में मिल सकता है, क्योंकि पुलिस भर्ती के लिए सर्वाधिक आवदेन इसी इलाके से होते हैं। इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने फरवरी, 2020 में पुलिस की बंपर भर्ती की तैयारी पूरी कर ली थी। दस हजार खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया मार्च से शुरू होने जा रही थी, लेकिन भाजपा ने उनकी सरकार गिरा दी।

प्रदेश में नियुक्तियों पर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले कर चुके हैं। इसको लेकर उन्होंने भर्ती वाले विभागों और पीईबी के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। पिछले दिनों उन्होंने समय पर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे।

इसके बाद पीईबी ने पुलिस आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। भर्ती 4000 पदों के लिए होगी। इसकी प्रक्रिया 25 नवंबर से प्रारंभ होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र 24 दिसंबर से मिलेंगे और सात जनवरी तक जमा किए जा सकते हैं। 12 जनवरी, 2021 तक संशोधन के लिए आवेदन होगा। परीक्षा छह मार्च 2021 से प्रारंभ होगी। भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट **www.peb.mp.gov.in** पर उपलब्ध है।

एक और चुनावी दांव

- **प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड छह मार्च 2021 से लेगा परीक्षा**
- **24 दिसंबर से आवेदन पत्र ऑनलाइन लिए जाएंगे**

अल्प वेतनभोगी निर्धन कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने बजट हुआ जारी

आदिम जाति कल्याण विभाग के 40 हजार कर्मचारियों के घर मनेगा दिवाली का जश्न

भोपाल। पिछले करीब आधा साल से वेतन के लिए भटकते आदिम जाति कल्याण विभाग के गरीब कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। त्यौहार के पहले ही मुख्यमंत्री की शक्ति के बाद इन कर्मचारियों का वेतन बजट जारी कर दिया गया है। 26 जिलों में भुगतान भी हो चुका है।आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत मध्यप्रदेश में लगभग 40 हजार दैनिक वेतन भोगी, स्थाईए अंशकालीन और पार्ट टाइम कर्मचारी जैसे अल्प वेतन में मैदानी स्तर पर कोविड 19 जैसी गंभीर परिस्थिति में विगत 8 से 10 माह का वेतन के बिना जीवन यापन करते हुए शासन प्रशासन का सहयोग करते रहे वेतन भोगी कर्मचारियों को लंबी प्रतीक्षा के बाद वेतन का बजट जारी हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में यह मामला आने के बाद अफसरों के कान खड़े हुए और आनन-फानन में बजट जारी किया गया। अति गंभीर मांग को लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन काम करने वाले इन कर्मचारियों की समस्या बताई गई थी। मुख्यमंत्री को कर्मचारियों की श्रेणी और संख्या बनाकर बताया गया था कि इन्हीं पिछले 6 माह से वेतन उपलब्ध नहीं हुआ है।

मुख्यमंत्री ने समझा कर्मचारियों का दर्द

स्थाई कर्मचारी नेता दिनेश राठौर का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन गरीब सेवकों का दर्द नजदीकी से समझा है। इस संबंध

में सर्वप्रथम 19 मई 2020 को जिला रायसेन के गैरतगंज प्रवास पर रामखेलावन पटेल अल्पसंख्यक अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री से वरिष्ठ कर्मचारी नेता मुरारी लाल सोनी के नेतृत्व में भेंट कर उक्त मांग से अवगत कराया गया था। मुख्यमंत्री को गैरतगंज प्रवास के दौरान उक्त मांग एक बंद लिफाफे में प्रेषित करते हुए समक्ष में संवाद किया गया था। जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों ने आनन-फानन में अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान करने के लिए आनन फानन में बजट जारी किया है।

विभाग की समीक्षा कराने के लिए भी सीएम ने दिया आश्वासन

वरिष्ठ कर्मचारी नेता हेमंत श्रीवास्तव का कहना है कि

मुख्यमंत्री ने हमारे माध्यम से इन कर्मचारियों की पीड़ा को गंभीरता के साथ सुना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने समस्त कर्मचारी वर्गों के प्रति संपूर्ण विश्वास दिलाते हुए स्पष्ट शब्दों में आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेशों की समीक्षा कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही वेतन संबंधी मांग पर तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित आला अधिकारियों को चेताया भी गया कि इन कर्मचारियों का प्रतिमाह इस समय से वेतन मिलना चाहिए।

कर्मचारियों को बड़ी राहत

मप्र राज्य कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप इंगले का कहना है कि मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद आदिम जाति

कल्याण विभाग में प्रदेश के 40000 कर्मचारियों का मासिक वेतन लगभग 6 माह का वेतन मिल चुका है। इस भुगतान को लेकर प्रदेश के प्रत्येक जिले में विशेषकर मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग के 26 जिलों में कर्मचारी दिवाली त्योहार के समय आनंदित है। वेतन मिलने के बाद सभी कर्मचारियों ने अन्य माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री का बहुत,बहुत आभार जताया है। अब यह कर्मचारी आसानी से अपनी दिवाली पर मना सकेंगे।

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस), मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु भर्ती परीक्षा - 2020 के संबंध में

पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/पुमु/अमनि/निस/चयन/274/A/2020 भोपाल दिनांक 22/10/2020 के तारतम्य में आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजन संबंधी निम्नानुसार संभावित तिथियाँ निर्धारित की जाती है

स.क्र.	विवरण	संभावित तिथियाँ
01	नियमों एवं परीक्षा संचालन के संबंध में विस्तृत नियम पुस्तिका प्रकाशन की संभावित तिथि	25/11/2020
02	आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथि	24/12/2020
03	ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि	07/01/2021
04	ऑनलाईन आवेदन पत्र संशोधन किये जाने की अंतिम तिथि	12/01/2021
05	परीक्षा की तिथि	06/03/2021 से प्रारंभ

1. उपरोक्त समस्त तिथियाँ पूर्णत: संभावित है। जिनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभव है।
2. विभाग से प्राप्त मांग पत्र अनुसार पदों की कुल संभावित संख्या लगभग 4000 है। जिनमें परिवर्तन संभव है।
3. पदों की विस्तृत जानकारी एवं आयु सीमा संबंधी जानकारी बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट **www.peb.mp.gov.in** पर उपलब्ध है।

प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड

''चयन भवन'' मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल-462011

फोन- 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स: +91-755-2550498

विज्ञापन क्रमांक- 36/2020

संचालक

बिना जोखिम कवर किए संविदा कर्मियों की लगाई चुनाव कार्य में ड्यूटी

भोपाल, (प्रसं)। आगामी विधानसभा उपचुनाव में जिम्मेदार अफसरों ने संविदा कर्मचारियों की चुनाव कार्य में ड्यूटी लगा दी है जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन के विरुद्ध है। आश्चर्य की बात यह है कि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) को पता नहीं है और अधिनस्थ अफसरों ने दर्जनों संविदा कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगा दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर्स को दी गई डायरी के बिंदु क्रमांक 4.5 में स्पष्ट है कि चुनाव कार्य के लिए संविदा कर्मचारियों की सेवाएं नहीं ली जा सकती हैं।

चुनाव आयोग की गाइडलाइन के विरुद्ध है यह कार्य

ग्वालियर-चंबल सहित प्रदेश के 28 विधानसभा उपचुनावों के लिए खेल विभाग, महिला एवं बाल विकास सहित कई महकमों के संविदा कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव कार्य में लगा दी गई है। ग्वालियर में ग्वालियर विकास प्राधिकरण के सीईओ केके गौर ने संविदा कर्मचारियों को ड्यूटी चार्ट पकड़ा दिया है। सरकारी नियमानुसार संविदा कर्मचारी कोरोना वॉयरिर्स में भी नहीं आते हैं। उनका किसी प्रकार का जोखिम भी इस कोरोना महामारी काल में कवर नहीं है अर्थात उनके साथ किसी तरह की अनहोनी होने पर जिम्मेदारी कौन लेगा। इसके अलावा चुनाव के दौरान अनजान में हुई चूक के लिए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। उनकी सेवा में निलंबिन की कार्रवाई का कोई प्रभावधान नहीं है। फिर क्या चूक होने पर सीधे नौकरी जाएगी।

विभागीय अफसरों की रही है चाल

महिला- बाल विकास एवं खेल विभाग सहित जिन विभागों के संविदा कर्मचारियों की विधानसभा उपचुनाव में ड्यटी लगाई गई है। उसके पीछे संबंधित विभाग के जिला स्तर के अफसरों की गैर जिम्मेदाराना करतूत रही है, जो उन्होंने नियमित कर्मचारियों की बजाय संविदा कर्मचारियों के नाम जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भेज दिए। हालांकि संविदा कर्मचारियों ने चुनाव प्रशिक्षण की बैठकों में बिना जोखिम कवर किए ड्यटी लगाने का विरोध किया था। जिसकी अनसुनी कर दी गई।

इनका कहना

विशेष परिस्थितयों में ही किसी संविदा कर्मचारी की ड्यटी लगाई गई है। यदि पीठासीन अधिकारी बनाया गया है तो जानकारी मिलने पर उनकी ड्यटी निरस्त कर देंगे।

कौशलेंद्र विक्रम सिंह
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

13 साल नौकरी कराई फिर महिला की नियुक्ति को अवैध बताया

लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठ अफसरों के कारनामे चर्चाओं में

पिछले महीने मंत्री रामखेलावन ने दिए थे इस मामले में निर्देश

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

लोक निर्माण विभाग में 13 साल नौकरी करने के बाद एक दैनिक वेतन भोगी निर्धन महिला को नियुक्ति पर अवैध बता दिया गया। इस मामले में पिछले महीने पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामखेलावन पटेल भी महिला को न्याय दिलाने की बात कह चुके हैं लेकिन अभी तक अधिकारियों ने कोई निर्णय नहीं लिया हैमामला लोक निर्माण विभाग का है।

इस संदर्भ में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ मुख्यमंत्री सहित विभाग के अधिकारियों को शिकायत के माध्यम से पूर्व समस्या बता चुका है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष केपी कुर्मीवंशी ने बताया कि श्रीमती बतासिया देवी देते दैनिक वेतन भोगी के रूप में वर्ष 19 88 के पूर्व से विभाग में कार्यरत थी। राज्य सरकार ने वर्ष 1989 के बाद से रखे गए दैनिक वेतन भोगियों की सेवा समाप्त कर दी गई थी।

उसी समय श्री बतासिया देवी को भी सेवा से हटा दिया गया था। परंतु राज्य शासन में वर्ष 1989 के पश्चात हटाए गए दैनिक वेतन भोगियों को कार्य पालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सीधी द्वारा काम पर रखने के आदेश किए गए थे। जिसमें मनमोहन सिंह राम भूषण मिश्रा और बतासिया देवी दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त हुए थे। इन तीनों ही अकुशल श्रमिकों को एक ही साथ सेवा में रखा गया था।

किंतु आरोप है कि कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सीधी द्वारा 3 फरवरी 2015 को षडयंत्र पूर्वक इस नियुक्ति को अवैध बताकर आदेश जारी किए गए। इस आदेश में गरीब महिला की सेवा समाप्त कर दी गई। जबकि 2 कर्मचारी यथावत काम कर रहे हैं। इस मामले में संगठन की शिकायत पर पिछले महीने पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामखेलावन पटेल भी निर्देश दे चुके हैं लेकिन बताया गया है कि उसे न्याय नहीं मिल पाया है।

गरीब महिला को अधिकारी कर रहे परेशान

इस संदर्भ में पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष केपी कुरुवंशी का कहना है कि मुख्यमंत्री से लेकर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को शिकायत करने के बाद भी महिला को न्याय ना मिलना व्यवस्थाओं की कमी को दर्शाता है उन्होंने कहा है कि अधिकारियों से कई बार अनुरोध भी किया गया। लेकिन महिला दर.दर भटक रही हैए उसको सेवा में वापस लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

मंत्री की बात भी नहीं मान रहे हैं अधिकारी

संगठन के संरक्षक राम विश्वास कुशवाहा ने बताया कि इस संदर्भ में पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं।

उन्होंने आरोप लगाया है कि एक सोची समझी साजिश के तहत गरीब महिला की नियुक्ति को अवैध बताया गया है। उन्होंने सवाल भी उठाया है कि जब महिला के साथ दो अन्य लोगों की भी नियुक्ति हुई थी तो उन्हें अवैध क्यों नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में गंभीरता से जांच करवा कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए।

अब 40-60 के नियम से पढ़ाएगा विभाग

विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

कोरोना संक्रमण काल में लगभग 6 माह से भी अधिक समय से स्कूली बच्चे घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में अब स्कूल शिक्षा विभाग कोर्स में कटौती करने के बजाय 40-60 के नियम से पढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इस नए बदलाव के तहत पहली से लेकर आठवीं तक 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम विषयवस्तु को होम एसाइमेंट या प्रोजेक्ट कार्य के रूप में दिया जाएगा, वहीं 60 फीसदी विषयवस्तु फेस टू फेस मोड में होगी।

दरअसल, राज्य शिक्षा केंद्र ने कोरोना संक्रमण के चलते पाठ्यक्रम में किए गए बदलाव को लेकर प्रदेशभर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों को आदेश जारी कर इस योजना की समीक्षा कर फीडबैक मांगा है। प्राचार्यों को 30 अक्टूबर तक फीडबैक रिपोर्ट भेजना होगी, जिसके बाद इसे लागू करने के तरीके पर विचार होगा। सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम में यह बदलाव किया गया है। विभाग ने पुनर्नियोजन पाठ्यक्रम को पोर्टल पर अपलोड भी किया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने प्राचार्यों से पूछा है कि नई व्यवस्था में लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति किस तरह होगी।

बच्चे अधिक सीखेंगे

विभाग के इस निर्णय से एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा और बच्चे रटने के स्थान पर अधिक सीखेंगे। साथ ही इसे लागू करने में प्रारंभिक तौर शिक्षकों को पालक की भूमिका भी अदा करनी होगी, जिससे छात्र इसे बोझ न समझकर खेल-खेल में पूरा कर सके।

सुधाकर पाराशर, प्राचार्य, शास. सुभाष उत्कृष्ट उमावि

एक सराहनीय कदम

40 प्रतिशत विषय वस्तु को होम असाइमेंट से जोड़ा जाना विभाग का एक सराहनीय कदम है। इससे न केवल शिक्षक बल्कि छात्र भी तनाव मुक्त रह सकते हैं। शिक्षक किसी भी कठिन टॉपिक को फेस टू फेस करा सकते हैं।

मेधा बाजपेयी, व्याख्याता, ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय

तृतीय वर्ग शास. कर्मचारी संघ के विवाद का पटाक्षेप, मिश्रा बने प्रांताध्यक्ष

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

प्रदेश के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद को लेकर करीब पांच साल से चल रहे विवाद का पटाक्षेप हो गया है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अध्यक्ष पद के तीनों दावेदारों की अपील खारिज कर दी है।

तीनों की याचिका खारिज होने से पंजीयक एवं सहायक पंजीयक फर्म्स एंड संस्थाएं के आदेश का पालन करने वाले विजय मिश्रा संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। संघ में विवाद की शुरूआत 2015 से हुई है। वर्ष 2012 में अजय द्विवेदी संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। द्विवेदी ने वर्ष 2015 में कार्यकारिणी भंग कर दी थी तब ओपी कटियार को संघ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी पर विधिवत निर्वाचन नहीं हुआ। बाद में अरुण द्विवेदी, प्रदीप तिवारी और ओपी कटियार ने बतौर संघ अध्यक्ष पंजीयक फर्म्स एंड संस्थाएं में याचिका दायर कर खुद को निर्वाचित अध्यक्ष बताया। याचिका की सुनवाई करते हुए सहायक पंजीयक ने फरवरी 2019 में तीनों याचिकाकर्ताओं को 3 महीने के अंदर निर्वाचन कराने के निर्देश दिए थे पर तीनों ही याचिकाकर्ता इस निर्देश के खिलाफ पंजीयक न्यायालय चले गए। पंजीयक ने भी सहायक पंजीयक के निदेशों को यथावत रखा और 24 जून 2020 को 3 महीने में चुनाव कराने के निर्देश दिए। पंजीयक के इस निर्देश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग में अपील की। सुनवाई करते हुए विभाग ने अपील खारिज कर दी। इससे पंजीयक और सहायक पंजीयक के निर्देश स्वतः ही लागू हो गए। पंजीयक के निर्देश का पालन करते हुए विजय मिश्रा ने निर्वाचन करा लिया।

अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड के लिए 24 भारतीय बच्चे दौड़ में

नई दिल्ली | भारत से 24 युवा चेंजमेकर्स को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 के लिए नामांकित किया गया है। ये 42 देशों से नामांकित हुए कुल 142 बच्चों में शामिल हैं। यह पुरस्कार ऐसे बच्चे को दिया जाता है जिसने बाल अधिकारों के संरक्षण, प्रोत्साहन और दुर्बल बच्चों के उत्थान के लिए उल्लेखनीय काम किया हो।

प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद-461005 (म.प्र.)

(भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई)

भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन

SECURITY PAPER MILL, HOSHANGABAD-461005 (M.P.)

(A Unit of Security Printing & Minting Corporation of India Limited)

Wholly Owned by Government of India

Tel. No. 07574-286517, E-mail: gm.spm@spmcil.com, Website : http://spmhoshangabad.spmcil.com

क्रमांक : एच.आर./1(33)/सलाहकार (सिविल)/विज्ञा.क्र.31/ दिनांक : 22/10/2020

भर्ती विज्ञप्ति

प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद **संविदा आधार पर "सलाहकार (सिविल)" के 01 (एक) पद** को भरने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

पदनाम	योग्यता	टिप्पणी
सलाहकार (सिविल)	**अनिवार्य योग्यता :-** किसी मान्यता प्राप्त भारत के विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री। **अनिवार्य अनुभव :-** केंद्र व राज्य सरकार से सातवें वेतन आयोग के पे मेट्रिक्स लेवल 06 या इससे ऊपर के पे मेट्रिक्स लेवल से सेवा-निवृत्त अभियंता (सिविल) अथवा सीडीए / आईडीए वेतनमान स्तर व इसके समकक्ष पद पर सीपीडब्ल्यूडी / पीडब्ल्यूडी / एनबीसीसी / रेल्वे / स्टेट एवं ऑटोनॉमस बॉडीज / पीएसयू इत्यादि विभाग के वे सेवा निवृत्त कर्मचारी जिन्हें बिल्डिंग / स्ट्रक्चर के मेंटेनेन्स / सिविल कंस्ट्रक्शन का अनुभव हो।	समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ तथा हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न कर संपूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित प्रपत्र, **मुख्य महाप्रबंधक, प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद (म.प्र.) - 461005** कार्यालय को दिनांक 27.11.2020 तक या उसके पूर्व भेजा जाए। आयु सीमा : अधिकतम 62 वर्ष

टीप : 1 विस्तृत विज्ञापन तथा आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट **http://spmhoshangabad.spmcil.com** के पेज **"Careers"** का अवलोकन करें।

मानव संसाधन विभाग

स्कूल शिक्षा विभाग
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, म.प्र.
राज्य शिक्षा केंद्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल -462011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स

क्र./राशिके/NTSE/NMMSS/2020/1555 भोपाल दिनांक 15/10/2020

विज्ञापन

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा 2020-2021

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना वर्ष 1963 से प्रारम्भ हुई है। इसका उद्देश्य प्रतिभावान छात्रों को चिन्हित करना एवं उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करना है। NCERT नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, कक्षा 10वी के छात्रों के लिए आयोजित की जाती है।

म.प्र. राज्य द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा वर्ष 2020-21 दिनांक 13 दिसम्बर 2020 को जिला स्तरीय केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है। द्वितीय स्तर की परीक्षा दिनांक 13 जून 2021 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए राज्य से प्रत्याशियों की निर्धारित संख्या 530 है। अंतिम चयन हेतु राज्यों का कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

1. **पात्रता**- म.प्र. राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 10वी में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। दूरस्थ मुक्त शिक्षा (ओपन स्कूल) में पंजीकृत ऐसे छात्र जो 1 जुलाई 2020 को 16 वर्ष से कम उम्र के हो, कार्यरत न हो एवं कक्षा 10वी की परीक्षा में पहली बार सम्मिलित हो रहे हो भी छात्रवृत्ति के लिए पात्र है।
2. **छात्रवृत्ति**- NCERT नई दिल्ली द्वारा द्वितीय स्तर की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के आधार पर पूरे देश से 2000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की राशि निम्नानुसार है।
   1. कक्षा XI एवं XII के लिए 1250/ - प्रतिमाह
   2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर कक्षाओं के लिए 2000 / - प्रतिमाह
   3. Ph.D. के लिए UGC नार्मस के अनुरूप
3. आरक्षण- प्रथम चयन परीक्षा में आरक्षण हेतु मध्यप्रदेश शासन के नियम एवं निर्देश यथावत लागू रहेंगे। केवल मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ही आरक्षण के पात्र होंगे। अन्य प्रदेशों के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के रूप में विचारित किये जायेंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी स्वंय के नाम का प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित करेंगे। निःशुल्क विद्यार्थियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होगा।

   आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है। भारत सरकार द्वारा 103 वें संविधान संशोधन, अधिनियम में आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "उक्त संविधान संशोधन के अनुरुप मध्यप्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) जो, संविधान के अनुच्छेद -341 एवं 342 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-25-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा चिन्हित अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा" इस हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड "मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/आय/एक/भोपाल, दिनांक 2 जुलाई, 2019" के अनुसार रहेंगे।

   आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण पत्र तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है। प्रमाण पत्र लाभार्थी के नाम का होना चाहिए। छात्र के स्वयं के नाम के प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।
4. **परीक्षा एवं आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियां:**

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	21/10/2020
आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	13/11/2020
परीक्षा दिनांक व दिन	13.12.2020 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	निःशुल्क

5. **परीक्षा का विवरण:**

क्र.	परीक्षा	अवधि	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अर्हताकारी अंक	
					सामान्य, पिछड़ा एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग 40 प्रतिशत	अ.जा./अ.जन.जा./ निःशक्त वर्ग 32 प्रतिशत
1	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	120 मिनट	100	100	40 अंक	32 अंक
2.	शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	120 मिनट	100	100	40 अंक	32 अंक

नोट- परीक्षा का समय MAT के लिए प्रातः 10:00 से 12:30 एवं SAT के लिए 1:30 से 3:30 तक होगा।

5.1 मानसिक योग्यता परीक्षा- इसके अंतर्गत कुल 100 प्रश्नों में समझशक्ति, वर्गीकरण, कूटभाषा, आकृति, अवलोकन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन-विकोडन, खंड समुच्चय समस्या सुलझाने आदि पर आधारित प्रश्न होंगे।

5.2 शैक्षिक योग्यता परीक्षण- इसके अंतर्गत कुल 100 प्रश्नों में से 40 प्रश्न विज्ञान के (भौतिक शास्त्र-13, रसायन शास्त्र-13, जीव विज्ञान-14 प्रश्न), 40 प्रश्न सामाजिक विज्ञान (इतिहास-15, भूगोल 15, राजनीति शास्त्र -5, अर्थशास्त्र 5) तथा गणित विषय-20 प्रश्न होंगें ।

6. पाठ्यक्रम- राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। यद्यपि 6 प्रश्नों का स्तर म.प्र. राज्य में मान्य विभिन्न परीक्षा बोर्ड के कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं की सार्वजनिक परीक्षा के समान होगा।
7. आवेदन की प्रक्रिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति

7.1 **इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी स्थिति में मेन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 13/11/2020 है।**

7.2 आवेदन पत्र की हार्डकापी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से या एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट **http//www.mponline.gov.in** पर दिनांक 21/10/2020 से प्राप्त होंगें। राज्य शिक्षा केन्द्र के पोर्टल में क्लिक करने पर NTSE लिंक मिलेगी, NTSE लिंक को क्लिक करके आवेदन पत्र प्राप्त होगा।

7.3 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र की हार्डकापी पूर्ण रूप से भरने के बाद संस्था के प्राचार्य एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवानी होगी।

7.4 अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरा एवं सत्यापित किया हुआ आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र के पास जाकर ऑनलाइन पंजी करवायेगा।

7.5 आवेदन की ऑनलाइन पंजी के बाद दो प्रतियों में रसीद प्राप्त होगी। यदि रसीद के ऊपर आवेदन अपूर्ण अंकित है तो अभ्यर्थी आवेदन की कमी को पूर्ण करें। आवेदन पूर्ण की रसीद प्राप्त होने पर आवेदन मान्य किया जायेगा। आवेदन पूर्ण अंकित रसीद की दो प्रतियों में से एक प्रति स्वयं अपने पास रखेगा एवं दूसरी प्रति आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ लगाकर संबंधित संकुल प्राचार्य के कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करेगा। संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में भेजेंगे। जिन जिलों में डाइट नहीं हैं वहां संकुल प्राचार्य , जिला शिक्षा केन्द्र (डी.पी.सी. कार्यालय) को आवेदन-पत्र भेजेंगे। डाईट/डी.पी.सी. कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र अंतिम रूप से सूचीबद्ध कर राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल को निर्धारित तिथि पर ही भेजे जायेंगे।

7.6 स्वंय के नाम का जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु की सत्यापित प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का स्वीकार किया जायेगा।

7.7 प्रवेश पत्र नवम्बर माह 2020 के तीसरे सप्ताह से एम.पी. ऑनलाइन के लिंक https//www.mponline.gov.in पर उपलब्ध होंगे जिन्हें अभ्यर्थी स्वयं डाउनलोड कर सकेंगे।

8. परीक्षा का माध्यम- परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।
9. परीक्षा शुल्क- इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
10. **महत्वपूर्ण निर्देश:-**

    10.1 परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुँचना अनिवार्य है।

    10.2 सेल्युलर, मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा किसी तरह की इलेक्ट्रानिक यंत्र आदि का प्रयोग प्रतिबंधित है।

    10.3 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

    10.4 इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नहीं है।

    10.5 उत्तरशीट परीक्षा उपरान्त पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।

    10.6 परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण परीक्षा संबंधी नियम पुस्तिका में उपलब्ध है जिसे एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाईट https/\www.mponline.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।
11. पुनर्मूल्यांकन- इस परीक्षा हेतु पुनः परीक्षण/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।
12. यात्रा भत्ता- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(लोकेश कुमार जाटव)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

जी- 15013/20

आपस में दो गज की दूरी, जीवन के लिये बहुत जरूरी

बीए, बीकॉम, बीएससी का बदला जाएगा 25 फीसदी सिलेबस

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

उच्च शिक्षा विभाग स्नातक प्रथम वर्ष के सिलेबस में बदलाव करने जा रहा है। बीए, बीकॉम, बीएससी संकाय के विषयों में 25 फीसदी सिलेबस बदला जाएगा। इसमें कुछ नए टॉपिक भी जोड़े जाएंगे।

जानकारी के अनुसार सिलेबस बनाने वाली समिति ने नए टॉपिक जोड़कर नया सिलेबस मंजूरी के लिए समन्वय समिति को भेज दिया है। हालांकि नया सिलेबस कम से लागू होगा इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। उच्च शिक्षा विभाग इसे इसी सत्र से लागू करना चाहता है, वहीं कॉलेज के प्रोफेसर्स की माने तो अब यह नए शिक्षण सत्र से ही शुरू हो पाएगा। बता दें कि बीए, बीकॉम और बीएससी पाठ्यक्रम के सिलेबस को लेकर जुलाई में समीक्षा बैठक की गई थी। जहां शिक्षा विशेषज्ञों ने सिलेबस में बदलाव का सुझाव दिया था। 30 सितंबर को रिपोर्ट देने के बाद 10 अक्टूबर को कोर्स अपग्रेड पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सहमति दी और प्रस्ताव को समन्वय समिति को भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक कॉमर्स में जीएसटी और टैक्स, साइंस में नए रिसर्च-आविष्कार समेत अन्य टॉपिक शामिल करने पर जोर दिया है।

प्रदेश के उपचुनाव के कारण हो रही देरी

प्रदेश में उपचुनाव हैं, जिसके चलते 10 नवंबर तक नए सिलेबस को लेकर चर्चा नहीं हो पा रही है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में समिति इसे हरी झंडी दे सकती है। इसके बाद कॉलेजों में नए सिलेबस के साथ पढ़ाई करवाई जाएगी। बता दें कि प्रत्येक तीन से पांच साल के भीतर सिलेबस अपग्रेड होता है। फिलहाल समन्वय समिति को अपग्रेड सिलेबस पर मंजूरी देना है।

कॉलेज प्रोफेसर वर्तमान सत्र में सिलेबस बदलने के खिलाफ

अपग्रेड सिलेबस इस सत्र से लागू नहीं करने को लेकर शिक्षक इसलिए अड़े हुए है, क्योंकि उन लोगों ने विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जिन विद्यार्थियों ने यूजी फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया है, उनकी अक्टूबर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अभी तक विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सिलेबस में किन टॉपिक्स को बदला है। बेहतर होगा कि अगले सत्र से नया सिलेबस रखा जाए।

गले की हड्डी बनी लॉकडाउन के बीच डाटा इंट्री ऑपरेटरों की भर्ती

भास्कर न्यूज़ | सतना

जिले की हायर सेकंड्री स्कूलों में आउट सोर्सिंग के जरिए नियुक्त किए गए डाटा इंट्री ऑपरेटरों की भर्ती जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए गले की हड्डी बन गई है। विभाग का आदेश मिलने के बाद आनन-फानन में लॉकडाउन की शुरुआत होने के साथ ही डाटा इंट्री ऑपरेटरों की भर्ती सवालों के घेरे में आ गई है। गुरुवार को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में डाटा इंट्री ऑपरेटरों की लॉकडाउन में की गई नियुक्ति पर अधिकारियों द्वारा सवाल-जवाब किए गए। विभाग से जुड़े जानकार बताते हैं कि डाटा इंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति करने में भी नियमों पर ध्यान नहीं दिया गया है। अपने चहेतों को लेन-देन कर नियुक्ति दी गई है। हाल ही में सोहावल विकासखंड के लिए आउट सोर्सिंग के माध्यम से ऑपरेटरों की नियुक्ति के लिए जारी किए गए टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। शेष अन्य विकासखंडों के लॉकडाउन के समय ही नियुक्ति कर दी गई थीं।

कहां कितनी नियुक्तियां

» मझगवां	18
» रामपुर बाघेलान	17
» रामनगर	5
» अमरपाटन	8
» मैहर	16
» उचेहरा	11
» नागौद	11
» सोहावल	0

बीएड की फिर शुरू हो काउंसलिंग

संवाददाता, जबलपुर। एनएसयूआई ने बीएड की काउंसलिंग फिर शुरू कराने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम का ज्ञापन गुरुवार को विभाग के अतिरिक्त संचालक को सौंपा। संगठन का कहना है कि कोरोना काल की वजह से कई छात्र नामांकन फॉर्म नहीं भर पाए हैं, इसलिए काउंसलिंग फिर शुरू कराई जाए। इस मौके पर राहुल बघेल, मोहम्मद अली, सागर शुक्ला, पलाश यादव आदि मौजूद थे।पी-2